राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(451)एम.ई./ग्रुप–1/2017 जयपुर, दिनांक 03 JAN 2018

आदेश

इस विभाग के आदेश कमांक एफ. 1(95)डी.एम.ई./16 दिनांक 15.2.2017 के द्वारा डॉ0 चेतन प्रकाश सुमन (मेरिट क्रमांक 95/पिछड़ा वर्ग, जन्म तिथि 15.6.1985) को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 चेतन प्रकाश सुमन को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

डॉ0 चेतन प्रकाश सुमन द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पदस्थापन स्थान में संशोधन किये जाने का निवदेन किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 02.06.2017 द्वारा इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज कोटा से मेडिकल कॉलेज जोधपुर किया गया।

डॉ0 चेतन प्रकाश सुमन द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश कमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 पार्ट दिनांक 10.03.2017 के द्वारा डॉ0 चेतन प्रकाश सुमन के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 14.05.2017 तक की अभिवृद्धि की गयी। डॉ0 चेतन प्रकाश सुमन द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण न किया जाकर पुनः कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश कमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप–1/1996 दिनांक 19.05.2017 के द्वारा डॉ0 चेतन प्रकाश सुमन के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 14.08.2017 तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि निर्धारित समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण हेतु उपस्थित होवें।

प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज जोधपुर के पत्रांक एफ–2/ई/आमवि./जो./2017/2225 दिनांक 06.12.2017 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ0 चेतन प्रकाश सुमन ने दिनांक 06.12.2017 तक वरिष्ठ प्रदर्शक पैथालोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 चेतन प्रकाश सुमन उक्त नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने कें इच्छुक नही है। अतः डॉ0 चेतन प्रकाश सुमन के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(95)डी.एम.ई./16 दिनांक 15.2.2017 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(33)भर्ती/गोपनीय/2013–14/210 दिनांक 06.09.2016 एवं एफ. 7(33)भर्ती 'ख'/ 2013–14/771 दिनांक 06.10.2016 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर/कोटा।
4. डा0 चेतन प्रकाश सुमन पुत्र श्री दुर्गा शंकर सुमन, सी–21, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, सेंट जोन स्कूल के पास, के. पाटन तिराहा बून्दी रोड, कोटा(राज.)–324008 **(रजिस्टर्ड डाक से)**।
5. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव